

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पत्रांक -ए0ई0-2/03/नि0वि0-1/वर्ग-3/59/2018/खण्ड-2/ 1336

दिनांक : 03/12/2019

सेवा में,

(1) श्री हरिओम गुप्ता,
खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन), व्यक्तिगत संख्या - 1604,
कार्यालय अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद-211004

(2) श्री परमजीत,
खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन), व्यक्तिगत संख्या - 1605,
कार्यालय अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-15,
मुरादाबाद-244001

विषय : विकल्प पत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

इस कार्यालय के आदेश संख्या DAG(DACC)CELL/RESULT/30 दिनांक : 02-11-2018 एवं आदेश संख्या ए0ई0-2/03/डी0ए0सी0सी0/परीक्षा/14/गुप-1/2019/वाल्जूम-1/50 दिनांक 07.05.2019 द्वारा क्रमशः सितम्बर, 2018 एवं मार्च, 2019 में सम्पन्न खण्डीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर स्थायी नियुक्ति हेतु अपना विकल्प पत्र कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर एवं भरकर, इसे सीधे श्री कुमार चन्द्रेश, उप महालेखाकार/डी0ए0सी0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2, उ0प्र0, इलाहाबाद 211001 को इस तरह प्रेषित करें कि पत्र की निर्गम तिथि से 10 दिनों के अंदर प्रेषिती को प्राप्त हो जाए। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखें :-

1. विकल्प पत्र स्वयं अपनी हस्तलिपि में भरा जाये।
2. प्रपत्र में निर्धारित स्थान में पदस्थापना हेतु अनुरोध के कारण का उल्लेख करें। उल्लिखित कारण के समर्थन में साक्ष्यों, यदि हों, की छाया प्रतियाँ भी संलग्न करें।
3. अनुरोध सहित चार स्थानों का वरीयता के क्रम में उल्लेख करें। यदि निर्धारित समय में विकल्प पत्र प्राप्त न हुआ तो यह समझा जाएगा कि स्थान (स्टेशन) के संबंध में आपका कोई विकल्प नहीं है।
4. विलम्ब से या अधूरा प्राप्त विकल्प पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. पहली बार प्राप्त विकल्प पत्र ही अंतिम माना जाएगा तथा उसमें किसी भी दशा में कोई परिवर्तन स्वीकार्य न होगा।
10. विकल्प पत्र फ़ैक्स संख्या 0532-2622359 या ई-मेल agaeuttarpradesh2@cag.gov.in पर प्रेषित किए जाएं।

संलग्नक : विकल्प पत्र

भवदीय,


वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0-1
तददिनांक 03/12/19

पत्रांक -ए0ई0-2/03/नि0वि0-1/वर्ग-3/59/2018/खण्ड-2/

1. संबंधित अधिशासी अभियंताओं से, इस कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से, अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) का विकल्प पत्र निर्धारित समय सीमा से इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई0टी0सी0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पत्रांक -ए0ई0-2/03/नि0वि0-1/वर्ग-3/59/2018/खण्ड-2/1337

दिनांक 03.12.2019

सेवा में,

- (1) श्री हरिओम गुप्ता,
खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन), व्यक्तिगत संख्या - 1604,
कार्यालय अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद-211004
- (2) श्री परमजीत,
खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन), व्यक्तिगत संख्या - 1605,
कार्यालय अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-15,
मुरादाबाद-244001

विषय : विकल्प पत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के आदेश संख्या DAG(DACC)CELL/RESULT/30 दिनांक : 02-11-2018 एवं आदेश संख्या ए0ई0-2/03/डी0ए0सी0सी0/परीक्षा/14/गुप-1/2019/वाल्जूम-1/50 दिनांक 07.05.2019 द्वारा क्रमशः सितम्बर, 2018 एवं मार्च, 2019 में सम्पन्न खण्डीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर स्थायी नियुक्ति हेतु अपना विकल्प पत्र कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर एवं भरकर, इसे सीधे श्री कुमार चन्द्रेश, उप महालेखाकार/डी0ए0सी0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2, उ0प्र0, इलाहाबाद 211001 को इस तरह प्रेषित करें कि पत्र की निर्गम तिथि से 10 दिनों के अंदर प्रेषिती को प्राप्त हो जाए। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखें :-

1. विकल्प पत्र स्वयं अपनी हस्तलिपि में भरा जाये।
2. प्रपत्र में निर्धारित स्थान में पदस्थापना हेतु अनुरोध के कारण का उल्लेख करें। उल्लिखित कारण के समर्थन में साक्ष्यों, यदि हों, की छाया प्रतियों भी संलग्न करें।
3. अनुरोध सहित चार स्थानों का वरीयता के क्रम में उल्लेख करें। यदि निर्धारित समय में विकल्प पत्र प्राप्त न हुआ तो यह समझा जाएगा कि स्थान (स्टेशन) के संबंध में आपका कोई विकल्प नहीं है।
4. विलम्ब से या अधूरा प्राप्त विकल्प पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. पहली बार प्राप्त विकल्प पत्र ही अंतिम माना जाएगा तथा उसमें किसी भी दशा में कोई परिवर्तन स्वीकार्य न होगा।
10. विकल्प पत्र फैक्स संख्या 0532-2622359 या ई-मेल aga Uttarpradesh2@cag.gov.in पर प्रेषित किए जाएं।

संलग्नक : विकल्प पत्र

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0-1
तददिनांक

पत्रांक -ए0ई0-2/03/नि0वि0-1/वर्ग-3/59/2018/खण्ड-2/

1. संबंधित अधिशासी अभियंताओं से, इस कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से, अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) का विकल्प पत्र निर्धारित समय सीमा से इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई0टी0सी0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पत्रांक -ए0ई0-2/03/नि0वि0-1/वर्ग-3/59/2018/खण्ड-2/

दिनांक : 12.2019

सेवा में,

- (1) श्री हरिओम गुप्ता,
खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन), व्यक्तिगत संख्या - 1604,
कार्यालय अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद-211004
- (2) श्री परमजीत,
खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन), व्यक्तिगत संख्या - 1605,
कार्यालय अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-15,
मुरादाबाद-244001

विषय : विकल्प पत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के आदेश संख्या DAG(DACC)CELL/RESULT/30 दिनांक : 02-11-2018 एवं आदेश संख्या ए0ई0-2/03/डी0ए0सी0सी0/परीक्षा/14/गुप-1/2019/वालयूम-1/50 दिनांक 07.05.2019 द्वारा क्रमशः सितम्बर, 2018 एवं मार्च, 2019 में सम्पन्न खण्डीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर स्थायी नियुक्ति हेतु अपना विकल्प पत्र कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर एवं भरकर, इसे सीधे श्री कुमार चन्द्रेश, उप महालेखाकार/डी0ए0सी0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2, उ0प्र0, इलाहाबाद 211001 को इस तरह प्रेषित करें कि पत्र की निर्गम तिथि से 10 दिनों के अंदर प्रेषिती को प्राप्त हो जाए। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखें :-

1. विकल्प पत्र स्वयं अपनी हस्तलिपि में भरा जाये।
2. प्रपत्र में निर्धारित स्थान में पदस्थापना हेतु अनुरोध के कारण का उल्लेख करें। उल्लिखित कारण के समर्थन में साक्ष्यों, यदि हों, की छाया प्रतियाँ भी संलग्न करें।
3. अनुरोध सहित चार स्थानों का वरीयता के क्रम में उल्लेख करें। यदि निर्धारित समय में विकल्प पत्र प्राप्त न हुआ तो यह समझा जाएगा कि स्थान (स्टेशन) के संबंध में आपका कोई विकल्प नहीं है।
4. विलम्ब से या अधूरा प्राप्त विकल्प पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. पहली बार प्राप्त विकल्प पत्र ही अंतिम माना जाएगा तथा उसमें किसी भी दशा में कोई परिवर्तन स्वीकार्य न होगा।
10. विकल्प पत्र फ़ैक्स संख्या 0532-2622359 या ई-मेल aga Uttar Pradesh 2@cag.gov.in पर प्रेषित किए जाएं।

संलग्नक : विकल्प पत्र

भवदीय,

पत्रांक -ए0ई0-2/03/नि0वि0-1/वर्ग-3/59/2018/खण्ड-2/ 1338

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0-1
तद्दिनांक 03.12.19

1. संबंधित अधिशासी अभियंताओं से, इस कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से, अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) का विकल्प पत्र निर्धारित समय सीमा से इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई0टी0सी0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0-1

Option for posting of Divisional Accountant

Dully filled in option form must reach to Sri Kumar Chandresh, Deputy Accountant General (DACC), Office of the Accountant General (A&E)-II, U.P. Allahabad within 10 days from uploading of the letter, through proper channel, by Fax or e-mail. Fax No. is 0532-2622359 & E-mail address is agaeuttarpradesh2@cag.gov.in.

1. Name, Designation & Personal Number.
2. Present place of posting with postal address & Mobile Number.
3. Date of Joining, quoting order No. & date in respect of present assignment.
4. Permanent Address.
5. Date of Birth
6. Date of appointment as Divisional Accountant (Probationer).
7. Month & Year of passing Divisional Accountants Grade Examination.

Detail of 4 Stations where posting is requested

<u>Sl.No.</u>	<u>Station</u>	<u>Reason for request</u>	<u>Evidence, if any, for request</u>
1.			
2.			
3.			
4.			

Physically handicapped persons should quote the No. and date of the letter issued from this office, sanctioning handicapped allowance.

Counter signed

Executive Engineer

Office Seal

Signature of D.A.

P.No.